73

न्यायालय अध्यक्ष/सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किट केम्प भोपाल.

R 81-PBR-17

प्र0क0– निगरानी/2016–17

किरण श्रीवास्तव पत्नि श्री विजय कुमार श्रीवास्तव नि0– एस–2 रामलक्ष्मी परिसर 46 मालवीय नगर भोपाल म0प्र0।

(42) .... आवेदिका

विरूद्ध

अभिभाषक श्री अनोखेलाल गुप्ता द्वारा आज दिनांक 23.11.2016 को पेश। अधीक्षक 23/11/16

संजीव खरबन्दा आ0 वीरेन्द्र खरबन्दा निवासी– मकान नम्बर 100 सी सेक्टर इन्द्रपुरी भोपाल म0प्र0।

.... अनावेदक

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से विद्वान राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा उनके प्रकरण कमॉक– 36/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनॉक–07–06–2016 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 81/पीबीआर/2017 **जिला भोपाल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-07-2018	1/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 तहसील हुजूर, जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 36/अ-12/15-16 में पारित आदेश दि. 07.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष दिनांक 03.10.2015 को सीमांकन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु इसके बाद राजस्व निरीक्षक द्वारा नोटिस जारी हेतु कोई तिथि नियत नहीं की और ना ही सीमांकन हेतु तिथि का वर्णन आदेश पत्रिका पर किया गया केवल दिनांक 07.06.2016 को आदेश पत्रिका पर सीमांकन होना एवं प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने का उल्लेख किया है, जो संदेहास्पद होने से निरस्ती योग्य है। यह भी कहा गया कि पड़ोसी कृषक द्वारा पंचनामा पर सीमांकन की कार्यवाही पर आपत्ति ली गई कि उन्हें सूचना दिये बिना ही सीमांकन किया गया, इसका निराकरण न कर सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण करना संदेहास्पद स्थिति पैदा करता है। इस आधार पर भी सीमांकन की कार्यवाही निरस्ती योग्य है। 4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये। 5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों एव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक पर तामीली भी है। प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट है कि उनके प्रतिनिधि उपस्थित भी थे, उन्होंने टीप भी अंकित की है। यद्यपि टीप Meaningless है, क्योंकि जब प्रतिनिधि उपस्थित थे तो बिना सूचना दिये सीमांकन की कार्यवाही हुई, का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रतिवेदन से यह भी	

स्पष्ट है कि T.S.M. मशीन से दिनांक 03.06.2016 को किया गया सीमांकन विधिवत सीमांकन है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

अध्यक्ष